

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) टिब्बी, जिला हनुमानगढ़
पीठासीन अधिकारी :- श्री सत्यनारायण आर.ए.एस.

मि०न० - 527 / 2025

अनवान : -

- 1 नरेश कुमार पुत्र औमप्रकाश जाति बावरी निवासी मल्लड़खेड़ा त० टिब्बी जिला हनुमानगढ़।
- 2 नानकसिंह पुत्र शिवनारायण जाति बावरी निवासीयान मल्लड़खेड़ा त० टिब्बी जिला हनुमानगढ़।

वादीगण

बनाम्

1. सतनाम सिंह पुत्र हरदयालसिंह जाति बावरी निवासीयान मल्लड़खेड़ा त० टिब्बी।
2. बलदेवसिंह पुत्र रामप्रकाश जाति बावरी निवासीयान मल्लड़खेड़ा त० टिब्बी।
3. गुरतेज सिंह पुत्र रामकिशन जाति बावरी निवासी मल्लड़खेड़ा त० टिब्बी।
4. जगसीरसिंह पुत्र रामकिशन जाति बावरी निवासी मल्लड़खेड़ा त० टिब्बी जिला हनुमानगढ़।
5. अमरजीत कौर पुत्री रामकिशन पत्नी लक्ष्मण सिंह जाति बावरी निवासी तख्तहजारा तहसील सादुलशहर जिला श्रीगंगानगर।
6. गुरदेवी पुत्री रामकिशन पत्नी शंकर जाति बावरी निवासी तख्तहजारा त० सादुलशहर जिला श्रीगंगानगर।
7. विमला पुत्री शिवनारायण पत्नी सतनाम सिंह जाति बावरी निवासी खैरुवाला त० सादुलशहर जिला श्रीगंगानगर।
8. वीरपाल कौर पुत्री औमप्रकाश पत्नी हाकमसिंह जाति बावरी निवासी अहमदपुरा
9. सोना बाई पुत्री औमप्रकाश पत्नी गुरदीपसिंह जाति बावरी निवासी बुर्जमहिमा बठिण्डा।
10. शान्ति पत्नी औमप्रकाश जाति बावरी निवासी मल्लड़खेड़ा त० टिब्बी जिला हनुमानगढ़।
11. नानकी देवी पुत्री रामप्रकाश पत्नी सतपालराम जाति बावरी निवासी चाहलावाली त० व जिला फाजिल्कां
12. प्रितपाल कौर (कश्मीर कौर) पुत्री रामप्रकाश जाति बावरी निवासी चाहलावाली त० व जिला फाजिल्का।
13. लछमी पुत्री रामप्रकाश पत्नी बलवन्त सिंह जाति बावरी निवासी सकताखेड़ा त० डबवाली जिला सिरसा।
14. सुगना पुत्री रामप्रकाश पत्नी मघरसिंह जाति बावरी निवासी वार्ड 42 सुरेशिया त० व जिला हनुमानगढ़।
15. सीता पुत्री रामप्रकाश पत्नी मंगल सिंह जाति बावरी निवासी वार्ड न० 55 सुरेशिया त० व जिला हनुमानगढ़।
16. कर्मजीत कौर पुत्री रामप्रकाश पत्नी रामगोपाल जाति बावरी निवासी चालावाली त० व जिला फाजिल्का।

प्रतिवादीगण



आज यह वाद मुझ सत्यनारायण उपखण्ड अधिकारी टिब्बी के समक्ष अधिवक्ता वादी सुभाष गर्ग व करनैल सिंह अधिवक्ता प्रतिवादी की उपस्थिति में प्रस्तुत होने पर वाद वादी डिक्री किया जाकर घोषणा की जाती है कि वादीगण व प्रतिवादीगण

को न्यायानुसार खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है:-

वादी सं० 1 नरेश कुमार को प्राप्त आराजी :- चकन० 2 एनजीआर के खाता सं० 140 / 91 में कुल 0.253 है० चकन० 2 एनजीआर के खाता सं० 76 / 70 के प०न० 188 / 208 मु० 2 किलान० 10 / .253 है० चकन० 2 एनजीआर के खाता सं० 77 / 71 में कुल 6.325 है० में से प्रतिवादीसं० 8 वीरपालकौर, प्रतिवादीया सं० 9 सोना, प्रतिवादीया सं० 10. शान्ति प्रत्येक का 1 / 28 हिस्सा

ख. वादीसं० 2 नानकसिंह को प्राप्त आराजी :- चकनं० 2 एनजीआर के खाता सं० 141/91 में .253 है० तथा चकनं० 2 एनजीआर के प०न० 188/208 मु० 2 किलानं०- 9/2/.127 है० तथा चकनं० 2 एनजीआर के खाता सं० 77/71 में कुल 6.325 है० में से प्रतिवादीसं० 7 विमला का 1/14 हिस्सा

ग.प्रतिवादी सं० 1 सतनामसिंह को प्राप्त आराजी:- चकनं० 2 एनजीआर के प०न० 188/208 मु०.2 किलानं० 1/253 है०

घ. प्रतिवादीसं० 2 बलदेवसिंह को प्राप्त आराजी :- चकनं० 2 एनजीआर के खाता सं० 142/ 91 में कुल .253 है० तथा चकनं० 2 एनजीआर के प०न० 188/208 मु० 2 किलानं० 2/2/.126 है०

ङ. प्रतिवादी सं० 3 गुरतेज सिंह व प्रतिवादीसं० 4 जगसीरसिंह को ब०हि०ब० प्राप्त आराजी:-चक नं० 2 एनजीआर के खाता सं० 139/91 में कुल 0.253 है० तथा चकनं० 2 एनजीआर के खाता सं० 77/71 में कुल 6.325 है० में से प्रतिवादीया सं० 5 अमरजीतकौर, प्रतिवादीया सं० 6 गुरदेवी प्रत्येक का 1 / 28 हिस्सा

च.चक नं० 2 एनजीआर के खाता सं० 76/70 के प०न० 187/211 मु० 19 किलानं० 12,19,20 में से वादीसं० 1 नरेश कुमार को 1/5 हिस्सा, वादी सं० 2 नानकसिंह को 1/5 हिस्सा, प्रतिवादीसं० 1 सतनामसिंह को 1/5 हिस्सा, प्रतिवादी सं० 2 बलदेवसिंह को 1/5 हिस्सा तथा प्रतिवादीसं० 3 गुरतेजसिंह व प्रतिवादीसं० 4. जंगसीरसिंह बहि०ब० 1/5 हिस्सा। इसी अनुसार रिकोर्ड में अंकन किया जाकर चक न० 2 एनजीआर के खाता सं० 140/91 में से वीरपालकौर, शान्ति देवी, सोना का नाम कलमजन व चक 2 एनजीआर के खाता सं० 141/91 में से विमला का नाम कलमजन व चक 2 एनजीआर के खाता सं० 139/91 में से अमरजीत कौर, गुरदेवी कौर का नाम कलमजन व चक 2 एनजीआर के खाता सं० 142/91 में से कर्मजीतकौर, नानकी देवी, प्रीतपालकौर (कश्मीर कौर), लक्ष्मी, सुगना, सीता का नाम कलमजन व चक 2 एनजीआर के खाता सं० 77/71 में से अमरजीत कौर, गुरदेवी, विमला, विरपालकौर, शान्ति, सोना का नाम कलमजन व चक 2 एनजीआर के खाता सं० 76/70 में से अमरजीत कौर, गुरदेवी, विमला, विरपालकौर, शान्ति, सोनाबाई का नाम कलमजन किया जावें। यदि कृषि भूमि पर बैंक रहन व किसी सक्षम न्यायालय का स्थगन आदेश न हो तो राजस्व रिकोर्ड में अंकन कर रिकोर्ड दुरुस्त किया जावें। खर्चा उभयपक्ष अपना-अपना वहन करें।

आज यह पर्चा डिक्री दिनांक 30/01/2026...मेरे हस्ताक्षर एवं मुद्रा से जारी की गई।



उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
पदेन निष्ठाकारण (पुनर्गणना)
टिब्बी
R.A.S
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
टिब्बी जिला हनुमानगढ़